FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

तहसीलदार, पाटन बनाम गै.मु.रास्ता (कोला की नांगल)

किस्म मुकदमा :– गै0मु0 रास्ता धारा 131 व 132 **मु0नं0 795 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/1551**

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11-12-2025	पत्रावली तहसीलदार, पाटन के पत्रांक भू.अ./2025/1572 दिनांक 12.11.2025 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 में गैर मुमकिन रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेश हुयी। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार पाटन ने बताया कि उक्त प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में अंकन नही है। तहसीलदार, पाटन को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, पाटन द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम **कोला की नांगल** पटवार मण्डल **घासीपुरा** तहसील **पाटन** स्थित **भूमि खसरा नम्बर 837/57 रकबा 1.3050 हैक्ट. किस्म बंजड़ मे से 0.0200 हैक्ट. का कुल चौड़ाई 04 मीटर व लम्बाई 50 मीटर रास्ता (मुकेश सिंह की ढाणी से घासीपुरा–काचरेडा सड़क से जोड़ता है) का** प्रस्ताव तहसीलदार पाटन से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू है एवं बारहमासी चलना बताया गया है। ग्राम पंचायत घासीपुरा का प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है। प्रस्ताव के साथ जमाबन्दी, ट्रेस नक्शा, भू–नक्शा, गुगल नक्शा संलग्न है। प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। पत्रावली का अवलोकन व मौका निरीक्षण करने पर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता मौके पर आवागमन हेतु चालू पाया गया। अतः जनहीत के आवागमन हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, पाटन के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख मे जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एंव नक्शें में तरमीम की जावें। उक्त गै.मु. रास्ते का रकबा संबंधित खातेदारों की खातेदारी में ही रहेगा। **तहसीलदार, पाटन द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।**	

उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (राज.)

तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, पाटन को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (राज.)